

कायलिय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/बाघ/2019-3/ ५९८२
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६/८/२०२१

- 1 समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
- 2 समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
- 3 समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, वन विकास निगम
मध्यप्रदेश।

विषय :- कार्यक्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी अपराध की सूचना पर कार्यवाही के संबंध में।

—::८०*८०::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विगत् दिनों में कुछ घटनाये वन्यप्राणी अपराध संबंधी प्रकाश में आई जिसमें किसी वनमंडल के द्वारा किसी अन्य वनमंडल/टाइगर रिजर्व/वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में जाकर वन्यप्राणी अपराध संबंधी सूचना पर कार्यवाही कर, वन्यप्राणियों के अवयवों की जप्ती की गई व कुछ आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत प्रकरण दर्ज हेतु स्थानीय वनपरिक्षेत्र/वनमण्डल से सम्पर्क किया गया। इस दौरान समन्वय की कमी से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई, तथा तकनीकी रूप से भी न्यायालयीन कार्यवाही में इस तरह के प्रकरणों में विभाग का पक्ष कमजोर होने की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि घटना स्थल की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में ही प्रकरण पेश किये जाते हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति की पुनरावृत्ती भविष्य में न हो इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें:-

अ) प्रकरण दर्ज करने से पूर्व—

1. वन्यप्राणी अपराध संबंधी मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे, यदि कार्यक्षेत्र के बाहर अपराध का घटना स्थल/अवैध व्यापार/परिवहन होना प्रतीत होता है तथा कार्यवाही उपरांत प्रकरण दर्ज का स्थल कार्यक्षेत्र के बाहर होने की सम्भावना हो तब उक्त परिस्थिति में उसका आंकलन कर, उक्त क्षेत्र के वनमंडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक को उक्त गुप्त सूचना हस्तांतरित कर देवे।
2. केन्द्र शासन/राज्य शासन के द्वारा संगठित एवं गंभीर वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्यक्षेत्र जबलपुर, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल तथा एसटीएफ पुलिस भोपाल का गठन किया गया है। जिनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है। वन्यप्राणी अपराध संबंधी उक्त गुप्त सूचना को गंभीरता के आधार पर उपरोक्त किसी भी एजेन्सी के सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देवे।
3. यदि किसी विशेष परिस्थिति में कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्यवाही करना पड़ रहा हो, तब वनमण्डल में कार्यवाही के पूर्व ही वहाँ के वनमण्डल अधिकारी को सूचित करें ताकि प्रकरण की गम्भीरता एवं गोपनीयता को ध्यान में रखकर उनके द्वारा आवश्यक तैयारी समय रहते की जा सकें तथा अनिवार्य रूप से वहाँ अधिकारी/कर्मचारी को साथ रखें। ताकि प्रकरण दर्ज करते समय उन्हें भी घटना के संबंध में जानकारी हो व प्रकरण की अग्रिम विवेचना सटीक होकर, न्यायालय में शासन/विभाग का पक्ष मजबूती से रखा जा सकें।

ब) प्रकरण दर्ज करने के पश्चात्— (राज्य के भीतर)

1. जब प्रकरण अपने कार्यक्षेत्र में दर्ज हो चुका हो तथा उसकी अग्रिम विवेचना/अन्वेषण कार्य हेतु किसी अन्य के कार्यक्षेत्र में जाकर की जाने वाली कार्यवाही के समय भी वहाँ के वनमंडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी को सूचित कर क्षेत्रीय अधिकारियों का साथ लेकर कार्यवाही करे तथा संयुक्त कार्यवाही के उपरांत विधि अनुसार जप्तीनामा, पंचनामा आदि संबंधित दस्तावेजों में स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिये जावें।

- कार्यवाही स्थल की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस को भी सूचित करे।

स) प्रकरण दर्ज करने के पश्चात्— (राज्य के बाहर)

- जब प्रकरण अपने कार्यक्षेत्र में दर्ज हो चुका हो तथा उसकी अग्रिम विवेचना/अन्वेषण कार्य हेतु राज्य के बाहर जाकर की जाने वाली कार्यवाही के समय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के माध्यम से वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो केन्द्र सरकार नई दिल्ली/राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल/संबंधित राज्य के वन विभाग की सहायता से संबंधित राज्य में कार्यवाही करे तथा संयुक्त कार्यवाही के उपरांत विधि अनुसार जप्तीनामा, पंचनामा आदि संबंधित दस्तावेजों में अन्य एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिये जावें।
 - राज्य के बाहर अपराध अन्वेषण कार्यवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को सक्षम स्तर से अनुमति लेकर ही भेजा जावे।
 - प्रकरण दर्ज होने के उपरांत वनक्षेत्रपाल के स्तर के अधिकारियों को वनमण्डलाधिकारी के द्वारा तथा सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को मुख्य वन संरक्षक के द्वारा अपराध अन्वेषण के कार्य हेतु राज्य के बाहर अनुमति प्रदान की जा सकती है।
उपरोक्त समस्त कार्यवाही के समय निम्न सामान्य निर्देशों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से मिले निर्देशानुसार कार्यवाही उपरांत प्रेस विज्ञप्ति में जप्त वन्यप्राणियों के कीमत का उल्लेख न किया जावें।
 - वन्यप्राणी अपराध संबंधी गोपनीय सूचना एकत्रित करते समय धनराशि के प्रावधान से बचना चाहिए। ऐसी कई घटनाएँ पूर्व में घटित हो चूकी हैं जिसमें मुख्य वन संरक्षक के प्रावधान के कारण वन्यप्राणियों का शिकार कर उसके अवयवों को जप्त करवा दिया गया।
 - किसी भी इकाई को अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर प्रकरण दर्ज नहीं करना चाहिए।
उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(आलोक कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक

भोपाल, दिनांक 24/8/2020

पृ. क्रमांक / संरक्षण / बाध / 2019-3 / 4983
प्रतिलिपि :-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- प्रबंधक संचालक वन विकास निगम पंचानन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक